न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0), नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

मूलवाद सं0 74 / 2023

सुभाषचन्द बनाम कमलेश आदि।

17–01–2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्षों के अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र ग–19 व आपत्ति ग–20 पर सुना गया।

प्रतिवादी सं0–1 की ओर से प्रार्थनापत्र ग–19 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सी0पी0सी0 इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादनी सं0 1 के हक में हुये बैनामा पंजीकृत दिनांक 21.12.2022 को निरस्त कराने हेतु दायर किया गया है। वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि बैनामा पंजीकृत दिनांक 21.05.1988 में अपना व अपने भाई श्रद्धानन्द का नाम बतौर क्रेतागण अंकित कराया गया था। जबकि बैनामा पंजीकृत दिनांक 21.05.1988 का कुल प्रतिफल वादी द्वारा अदा किया गया था। यद्यपि वादी का यह कथन गलत है तथापि वाद पत्र में उल्लिखित कथनों के अनुसार वाद वादी धारा–3 व धारा–2(a) बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट (Banami Transaction Prohibition Act) 1988 से बाधित है और निरस्त होने योग्य है। यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादनी सं0 1 द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अवसर सुरक्षित रखते हुए दिया गया है। अतः वाद वादी Banami Transaction Prohibition Act 1988 से बाधित होने के कारण निरस्त फरमाया जाये।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर वादी की ओर से लिखित आपत्ति ग–20 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत बयानात व वाकात के साथ दिया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी के द्वारा स्वयं को मालिक एवं काबिज बताते हुए वाद योजित किया गया है तथा वाद पत्र में स्वयं का बजरिये विक्रय–विलेख तथा तहरीर याददाश्त से वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक एवं काबिज बताया गया है। प्रतिवादी के द्वारा बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट से वादी का वाद बाधित बताया गया है। इस बिन्दू का निर्धारण साक्ष्य के उपरांत ही हो सकता है। प्रारंभिक स्तर पर वाद को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आदेश–7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान प्रश्नगत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं तथा प्रश्नगत प्रतिवादी सं0 1 निरस्त होने योग्य है। विधि के किसी प्रावधान से वादी का वाद बाधित नहीं होता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी विधिक तौर पर पोषणीय नहीं है। धारा–9 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत व्यहार न्यायालय को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित वादों के अतिरिक्त सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण का अधिकार है। इस वाद में बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कोई निर्णय पारित नहीं होना है। आदेश–7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत विचार करते समय केवल वादी के वाद पत्र में लिखित कथनों को ही देखा जा सकता है, प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र पर वाद बिन्दु बनने के उपरांत ही विचार किया जा सकता है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था (2012) 5 एस0सी0सी0 322 में अभिकथन किया गया है कि Rejection of plain-Ground-Bar of Section 4 of Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988-Propriety-Held, not proper as the transaction in question was completely saved from mischief of Section 4 by reason of the same falling under sub-section (3)(b) of Section 4 of the Act, 1988- Further held that the plea regarding bar under Section 4 of the Act could not have been the subject matter of assessment at the stage when application under Orrder 7 Rule 11 CPC was taken up for Consideration as the matter required fuller and final consideration on the basis of evidence led by the parties.

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था का ससम्मानपूर्वक सादर अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र ग–19 के माध्यम से यह कथन किया गया है कि बैनामा पंजीकृत दिनांक 21.05.1988 में अपना व अपने भाई श्रद्धानन्द का नाम बतौर क्रेतागण अंकित कराया गया था। जबकि बैनामा पंजीकृत दिनांक

21.05.1988 का कुल प्रतिफल वादी द्वारा अदा किया गया था। वाद पत्र में उल्लिखित कथनों के अनुसार वाद वादी धारा–3 व धारा–2(a) बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 से बाधित है और निरस्त होने योग्य है। बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 की धारा–4(3)(b) में यह कथन किया गया है कि वह व्यक्ति जिसके नाम में सम्पत्ति धारित है नियासी या वैश्वासिक हैसियत में सम्पत्ति अन्य व्यक्ति है और सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति के अन्य फायदे की धारित है जिसके लिए वह नियासी है या जिसके प्रति व ऐसी हैसियत में सम्पत्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र ग–19 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–19 निरस्त किया जाता है, तद्नुसार आपत्ति ग–20 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन दिनांक 04–03–2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।